

253

129



श्री ५२५५ महोदय वृत्त R. 5204-दा/116

न्यायालय श्रीमान राजस्व मन्त्रालय जिला रीवा म० प्र०



शिवनाथ पिता भजन साहेत निवासी रमनगरी उम्र 65 साल, तहसील

हनुमना, जिला रीवा म० प्र०

आवेदक

बनाम

शासन म० प्र०

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुबिभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा म० प्र० के प्र० क्र० 90अ74/13-14 से पारित आदेश दिनांक 18. 3. 16 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता के अधीन निगरानी ।

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि म० ज० रमनगरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म० प्र० में स्थित भूमि ख० क्र० 195 रकबा 0.07 ए. शासन म० प्र० की भूमि है, जिस भूमि में आवेदक का उसके पिता के अनुक्रम में आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व से मकान, शौचालय, खलिहान, एवं बूझी का उपयोग, उपभोग करते हुये देरीना कब्जा चला आ रहा है, जिस भूमि में आवेदक का 6 क मरा मकान, आम के दो बूझ, नीबू, एक, ससिसम, उमर, नीम, अमरूद, बांस आदि के बूझ लगे हुये है। तथा उसी भूमि में 5 टिसमिल भू भाग में आवेदक का खलिहान एवं कब्जादखल आम निश्चतार के रूप में चला आ रहा है, इस प्रकार उक्त भूमि में आवेदक का 0.07 ए. भू भाग में 60 वर्ष से कब्जा दखल, आबादी चला आ रहा है।

श्री अशोक सिपाही  
दाता पत्रा 6.5.16  
6.5.16  
AS

श्री अशोक सिपाही  
दाता पत्रा  
6.5.16  
AS

Handwritten signature and date: 12/01/16

129

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5204-II/16 जिला शिवा

शिवनाथ शर्मा विरुद्ध शासन मंत्रालय

| 1        | 2  | 3 |
|----------|--|---|
| 16-1-19- | <p>1. आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमता के प्रकरण क्रमांक 90/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कलेक्टर शिवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> |   |

सदस्य